By Akhilesh Kumar (GT Assist. Professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Unit-4 Indian companies Act, 1956 Lecture -2 Date 15-07-2020

Easy to Understand the concept

By Akhilesh Kumar (GT Assist. Professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

प्रश्न - कम्पनी के पंजीकरण (Registration or Incorporation) के लिए दाखिल किए जाने वाले प्रलेखों की सूची बनाइए। सीमा नियम तथा अन्तर्नियम के महत्त्व को संक्षेप में समझाइए।

उत्तर- कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी का समामेलन या पंजीयन (Registration) कराना होता है। इस सम्बन्ध में प्रवर्तक को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं:

1. **रजिस्टर्ड कार्यालय का निर्णय- कम्पनी का पंजीकरण उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है, जिस राज्य में कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय होता है, अतः प्रवर्तकों को रजिस्टर्ड कार्यालय के विषय में निर्णय लेना चाहिए।**

2. **कम्पनी का नाम निश्चित करना (Determination the Name of the Company)- यद्यपि कम्पनी के लिए कोई भी नाम निश्चित किया जा सकता है, तो भी रजिस्ट्रार से यह पूछ लेना चाहिए कि जिस नाम से कम्पनी खोली जा रही है, वह नाम उपलब्ध है अथवा नहीं।**

3. **प्रपत्रों की रजिस्ट्रार को सुपुर्दगी-** उपर्युक्त कार्यों को करने के बाद उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए नीचे लिखे हुए प्रपत्र भेजने चाहिए, जिसमें कम्पनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित किया जाना है :

(i) पार्षद सीमा नियम (Memorandum of Association)

(ii) पार्षद अन्तर्नियम (Articles of Association)

(iii) प्रस्तावित संचालकों की संचालक के रूप में काम करने की लिखित सहमति तथा योग्यता अंशों को खरीदने का वचन (Written consent of proposed directors and to act as directors and to purchase qualification shares)

(iv) संवैधानिक घोषणा (Statutory Declaration)– कम्पनी निर्माण में कम्पनी अधिनियम के नियमों का पूर्णतया लन किया गया है। यह घोषणा एडवोकेट, वकील, एटॉनी रनल अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जानी चाहिए।

(v) कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के पते की सूचना।

4. **फीस का भुगतान-** उपर्युक्त प्रलेखों के साथ निर्धारित स भी भेजनी पड़ती है।

5. रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री किया जाना- यदि रजिस्ट्रार बात से संतुष्ट हो जाता है कि कम्पनी के रजिस्ट्रेशन के लिए गठित सभी कार्यवाहियाँ पूरी कर दी गई हैं, तो वह कम्पनी का अपने रजिस्टर में लिखकर कम्पनी को 'समामेलन प्रमाण-पत्र' करता है।

पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association) का महत्त्व-पार्षद सीमा नियम कम्पनी का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसी प्रलेख के आधार पर कम्पनी का समामेलन होता है। प्रत्येक कम्पनी द्वारा अपने समामेलन के लिए इस प्रलेख को तैयार करना अनिवार्य होता है। इस प्रलेख में कम्पनी के उद्देश्यों। सहित अन्य महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख रहता है। यह प्रलेख कम्पनी की क्रियाओं के लिए चारदीवारी (Boundary Wall) का काम करता है। इसके बाद किया हुआ कार्य व्यर्थ माना जाता है। यह कम्पनी का संविधान है तथा कम्पनी की वह आधारशिला होता है, जिस पर कम्पनी का पूर्ण ढाँचा आधारित होता है। यह कम्पनी का बाहरी जगत से सम्बन्ध परिभाषित करता है तथा कम्पनी के कार्यक्षेत्र की सीमा बतलाता है।

सीमा नियम में निम्नलिखित विवरण (वाक्य) होना आवश्यक है।

By Akhilesh Kumar (GT Assist. Professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

1. नाम वाक्य- इस वाक्य में कम्पनी का नाम लिखा जाता

2. स्थान वाक्य- इस वाक्य में उस राज्य का नाम लिखा जाता है, जिसमें कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय (Registered Office) स्थित है।

3. उद्देश्य वाक्य- इस वाक्य में उन उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है, जिनके लिए कम्पनी का निर्माण किया जाता है।

4. दायित्व वाक्य- इस वाक्य से पता चलता है कि कम्पनी के सदस्यों का दायित्व अंशों में देय धनराशि तक ही सीमित है।

5. पूँजी वाक्य- इस वाक्य में कम्पनी की अधिकृत पूँजी का विवरण होता है।

6.संघ वाक्य- इस वाक्य में उन व्यक्तियों के नाम तथा पते लिखे होते हैं, जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं। वे व्यक्ति इस बात की घोषणा करते हैं कि वे कम्पनी का निर्माण करना चाहते हैं और योग्यता अंशों को खरीदने का वायदा करते हैं।

पार्षद अन्तर्नियम (Articles of Association) कम्पनी का पार्षद सीमानियम कम्पनी के कार्यक्षेत्र को निर्धारित करता है और अन्तर्नियम यह बताते हैं कि इस सीमा के भीतर अमुक कार्य कैसे किया जाए, आन्तरिक प्रबन्ध एवं व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए तथा कम्पनी के साथ सम्बन्ध रखने वाले

By Akhilesh Kumar (GT Assist. Professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube :A commerce Education

अलग-अलग व्यक्तियों के क्या अधिकार होंगे? संक्षेप में, कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध, परिचालन व नियंत्रण के लिए निर्धारित नियमों व विनियमों को संस्था के अन्तर्नियम कहते हैं। पार्षद अन्तर्नियम कम्पनी के मुख्य प्रलेख पार्षद सीमानियम का सहायक प्रपत्र है और यह उसी के द्वारा नियन्त्रित होता है।